

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:—152/2020/223 (2020/00152)

श्रीमती प्रेमकान्ता पत्नि कैलाशदत्त (मृतक) जरिये वारिसान:—

1. श्रीमती राधिका उर्फ बकुल पुत्री कैलाशदत्त,
 2. श्रीमती चन्द्रीका पुत्री कैलाशदत्त
 3. श्रीमती मृगांका पुत्री कैलाशदत्त,
- समस्त जाति ब्राहमण, निवासी मकरेड़ा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर
हाल निवासी रेम्बल रोड़ लेन नं0 2, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
समस्त जरिये मुख्तयारआम महेन्द्रसिंह पुत्र प्रयागसिंह, जाति राजपूत,
निवासी सिलावटा पाडा, सिलावट मस्जिद के पास, जैसलमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर ।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव ।

रेस्पोडेंटस



अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 27.02.2020 अंतर्गत वाद संख्या 61/2016.

उपस्थित:—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री गिरीश पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांक:— 30.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.2.2020 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 92-ए राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम मकरेड़ा तहसील पीसांगन में साबिक खसरा संख्या 19 रकबा 70-15-00 बीघा में से 15 बीघा भूमि दिनांक 1.7.1964 को आवंटन की जाकर कब्जा व दखल प्रदान किया गया तब से श्रीमती सत्यवती काबिज चली आ रही थी जिनका दिनांक 19.1.2007 को स्वर्गवास होने के बाद वादीगण लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । साबिक खसरा संख्या 19 के वर्किंग खसरा नंबर 46, 47, 44 मिन बने हैं जिनके आधारभूत खसरा नंबर 87 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 88 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 105 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 107 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 87 रकबा 3.02 है0, खसरा नंबर 88 रकबा 2.00 है0, खसरा नंबर 105

Dr. -
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 107 रकबा 3.00 है0, खसरा नंबर 105 रकबा 3.00 है0 बने है । खसरा गिरदावरी संवत् 2021 से 2024, 2025 लगायत 2028, खसरा परिवर्तनशील संवत् 2026, खसरा गिरदावरी संवत् 2034 से 2037, 2038 लगायत 2041 एवं खसरा परिवर्तनशील संवत् 2049 एवं संलग्न लगान एवं जुर्माना रसीदात सन् 1976 लगायत 1991 से सिद्ध है । आवंटन आदेश दिनांक 1.7.1964 की पालना में श्रीमती सत्यवती एवं वादीगण के नाम अधिकार अभिलेख में नियमानुसार राजस्व एजेन्सी द्वारा प्रविष्टियां दर्ज नहीं की गई है । अतः वादपत्र स्वीकार कर विवादित आराजियात आधार खसरा संख्या 87, 88, 105 एवं 107 पर बनाये गये है में से 15 बीघा पर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.2020 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात बाबत् परीक्षण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा दिनांक 5.2.2020 को लिखित बहस पेश की गई एवं दिनांक 4.7.2017 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं श्री मूलसिंह चारण ऑफिस कानूनगो तथा मंजू दाढी हल्का पटवारी मकरेड़ा द्वारा बयान बाबत् शपथ पत्र पेश किय गये जिनके अनुसार अपीलांट को चौसाला खसरा नंबर 19 रकबा 143-15-00 बीघा में से भूमि आवंटन की गई थी एवं आवंटन कमेटी द्वारा प्रदत्त स्थान पर आज दिनांक अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन उक्त बयानात एवं लिखित बहस में बंदोबस्त विभाग द्वारा तैयार नये खसरा नंबरान के अनुसार अपीलांटस को अन्य स्थान पर काबिज बताया गया है । पटवारी हल्का ने बयानों में आवंटनशुदा संपूर्ण आराजियात को कृषि योग्य माना है जिससे अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय, बंदोबस्त विभाग द्वारा तैयार नये खसरा नंबर एवं ऑफिस कानूनगो तथा पटवारी हल्का के बयान एवं लिखित बहस तथा जवाब सरकार में विरोधाभास प्रकट होता है जिससे मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति की रिपोर्ट उक्त प्रकरण में तलब किया जाना न्यायोचित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजियात के मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति एवं कब्जे काश्त की रिपोर्ट तलब की जावे ।
5. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 के निर्णय में यह अंकित किया है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय के अनुसार जिला कलक्टर के खातेदारी निरस्ती की अनुशंषा को निरस्त नहीं करके उपखण्ड अधिकारी को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति मानते हुए भूमि का कब्जा वापिस लेने हेतु दिये गये निर्देशों तक निर्णय को निरस्त किया है साथ ही अपीलांटस को किसी प्रकार का आवंटन बहाल करने संबंधी निर्णय नहीं दिया है, कतई त्रुटिपूर्ण रूप से माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय की व्याख्या की गई है क्योंकि माननीय मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.6.1967 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम के तहत पेश कर भूमि को पुनः राजहित में ग्रहण कर ले बाबत् अंकन किया गया है जो जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 8.7.1965 को स्वीकार किया गया जिसके विरुद्ध अपीलांटस एवं अन्य पक्षकारान की और से माननीय



DR
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी याचिकायें संख्या 29 लगायत 34/1965 पेश की गईं जो दिनांक 2.6.1967 को स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया है। इस प्रकार जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा आवंटन आदेशों को निरस्त नहीं किया गया था वरन् भूमि रिज्यूम करने हेतु उपखण्ड अधिकारी की अनुशंसा को प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) में स्वीकार किया था जिसे मान0 मण्डल ने निरस्त कर दिया। यदि भूमि रिज्यूम करने का आदेश बहाल रह जाता तो आवंटन निरस्त माना जाता लेकिन रिजम्पशन बाबत् पारित आदेश निरस्त कर दिया जिससे आवंटन आदेश यथावत् बहाल है। इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने मान0 मण्डल के निर्णय की गलत व्याख्या करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है। बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 2 में भी मान0 मण्डल द्वारा पारित निर्णय की गलत व्याख्या की गई है जबकि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा आवंटन आदेश निरस्त करने बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया गया है मात्र उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटनशुदा आराजी पुनर्गणन करने बाबत् निवेदन किया गया था जो स्वीकार किया गया था। तनकी संख्या 3 स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् बनाई गई थी लेकिन अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 व 2 के आधार पर उक्त तनकी को भी वादीगण के विरुद्ध निर्णित करने में त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत बयानात में स्वयं स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण का बिज काशत चले आ रहे हैं एवं भूमि को कृषि योग्य कर रखा है एवं वादीगण आवंटन आदेश की पालना में काबिज हुए हैं इस तथ्य को भी इंकार नहीं किया गया है फिर भी उनके द्वारा अपने निर्णय में केवल यह अंकित कर दिया गया कि वादीगण अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है क्योंकि उनके समक्ष खसरा गिरदावरियां, खसरा परिवर्तनशील, धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधी0 के नोटिस एवं शास्ती रसीदात प्रस्तुत की गई थी जिससे वादीगण का लगातार काबिज काशत होना सिद्ध हो चुका था फिर भी अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में इन दस्तावेजात का अंकन नहीं किया है बल्कि राजस्व एजेन्सी की त्रुटि को छिपाने का प्रयास कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। आवंटन की पालना में राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का दायित्व राजस्व एजेन्सी का है न कि आवंटनी/अपीलांटस का। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 1.7.1964 के अनुसार अपीलांटस को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काशतकार घोषित किया जावे।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति लेने हेतु दिनांक 23.3.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन में पदस्थापित नकल शाखा के क्लर्क ने मुख्तयारआम को दूरभाष पर नकल तैयार होने की सूचना दी लेकिन लोक डाउन होने के कारण तत्समय न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहा जिससे प्रार्थना पत्र दिनांक 26.3.2020 को निरस्त कर दिया। तत्पश्चात् मुख्तयारआम द्वारा अभिभाषक श्री शिवचरण शर्मा से न्यायिक कार्य सुचारु होने बाबत् दिनांक 25.8.2020 को जानकारी होने पर नकल हेतु पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 27.8.2020 को नकलें तैयार की जाकर मुख्तयारआम को दी गईं। नकलें प्राप्त होने पर मुख्तयारआम पक्षकारान से मिला तथा अपील करने के निर्देश प्राप्त होने पर अधिवक्ता नियुक्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश



अधीन्यायाधीश
राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।


7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है । चौसाला खसरा नंबर 19 ग्राम मकरेड़ा तहसील पीसांगन का मूल रकबा 143-15-00 बीघा था जिससे वर्किंग जमाबंदी व भू-प्रबंध विभाग से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार खसरा नंबर के नये खसरा नंबर 44 रकबा 112-03-00 बीघा व खसरा नंबर 45 रकबा 31-12-00 बीघा बने हैं । वादी ने वादपत्र में चौसाला खसरा नंबर 19 से भू-प्रबंध मिस व वर्किंग व संवत् 2061 से 2080 के खसरा नंबर का उल्लेख करते हुए खातेदारी हेतु वाद पेश किया है जबकि खसरा नंबर 105 मिन रकबा 3 है0 के अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 87, 88 व 107 वर्किंग खसरा नंबर 44 व 45 से नहीं बने हैं । जबकि वादी चौसाला खसरा नंबर 19 में 15 बीघा भूमि आवंटन के कब्जे के आधार पर घोषणात्मक वाद के जरिये खातेदारी अनुतोष चाहा है । वादी का कब्जा आवंटित खसरा नंबर 19 के हाल बने खसरा नंबरों पर नहीं है । वादग्रस्त आराजी वर्ष 2013 से अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत निर्णय व डिक्री है । बहस में यह भी निवेदन किया कि विवादित आराजियात की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये जाने का कोई औचित्य नहीं है एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.6.1967 में कहीं भी आवंटन आदेश बहाल किये जाने संबंधी कोई अंकन नहीं है एवं किसी भी न्यायालय के आदेश की पालना किये जाने हेतु 12 वर्ष की अवधि नियत की गई है किन्तु आज दिनांक तक ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।
8. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है । विवादित आराजियात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 संख्या 2 के नाम दर्ज है । विवादित आराजियात पर अपीलांटस का कब्जा काश्त नहीं है । अपीलांटस स्थगन आदेश की आड़ में विवादित आराजियात पर कब्जा करना चाहते हैं । मान0 मण्डल द्वारा अपीलांट को किया गया आवंटन बहाल नहीं किया गया है। अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत रूप से वादीगण का वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।
9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते हैं । पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत है । आज दिनांक को उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि अपीलांटस को बहस हेतु कई अवसर दिये जा चुके हैं । आज अंतिम बहस के स्तर पर उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश कर मौके की भौतिक रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है । आज अपील के अंतिम स्तर पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया ही अपील में देरीना करने के उद्देश्य से पेश किया जाना प्रकट होता है । न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि इस स्तर पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर साक्ष्य एकत्रित नहीं की जा सकती है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 जा0दी0 निरस्त किया जाता है ।
10. अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते हैं । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते हैं । अतः अपील



राजस्थान सरकार
अजमेर


में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

11. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध एकजी० 10 माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 2.6.1967 से स्पष्ट है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर के खातेदारी निरस्ती की अनुशंषा को निरस्त नहीं कर उपखण्ड अधिकारी को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति मानते हुए भूमि का कब्जा लेने के दिये गये निर्देशों तक के निर्णय को निरस्त किया है साथ ही अपीलांटस के आवंटन को बहाल करने संबंधी कोई निर्णय नहीं दिया गया है । उक्त आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी के विरुद्ध तय किया गया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । अतः तनकी संख्या 1 के संबंध में अधी० न्याया० द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से यथावत् रखा जाता है । तनकी संख्या 2, 3 एवं 4 में भी अधी० न्याया० ने विधिवत् रूप से विवेचन करते हुए यह माना है कि जिला कलक्टर द्वारा प्रचलित नियमों में नहीं होने के कारण केवल मात्र आवंटन निरस्त करने की अनुशंषा की थी जिसे मान० राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय में खारिज नहीं किया है इसलिये अपीलांटस किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है तथा अपीलांट की हैसियत केवल मात्र अतिक्रमी की है । अधी० न्याया० ने विधिसम्मत रूप से वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी० न्याया० द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।
12. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.2020 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।


(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 30.7.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।


(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

डिगरी ब सीगे अपील
(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।

ब इजलाश:- श्रीमती मेघना चौधरी, आर.ए.एस.

श्रीमती प्रेम कान्ता धर्मपत्नि श्री कैलाश दत्त (मृतक) जरिये वारिसान:-श्रीमती राधिका उर्फ बकुल पुत्री कैलाश दत्त जाति ब्राहमण निवासी मकरेड़ा तहसील पीसांगन हाल निवासी रेम्बल रोड़, लेन नम्बर 02, अजमेर तहसील व जिला अजमेर जरिये मुख्तयारआम महेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रयाग सिंह जाति राजपूत निवासी सीलावटा पाड़ा, सिलावट मस्जिद के पास, जैसलमेर जिला जैसलमेर व अन्य ।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर व अन्य ।

अपील संख्या 152/2020 (2020/00152) ब नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम पीसांगन मुबर्खे 27 माह 02 सन् 2020, प्रकरण संख्या 61/2016,

दावा बाबत : अन्तर्गत धारा 88,188, एवं 92ए राज. काश्त. अधि.1955

यह अपील ब तारीख 30 माह 07 सन् 2021 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिरी श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील मिनजानिब अपीलांटस, व श्री विकास पाराशर रेस्पोजेन्ट संख्या 01(राजकीय अधिवक्ता),श्री गिरीश पारीक वकील रेस्पोजेन्ट संख्या 02, समायत के लिए पेश होकर हुकम हुआ हैं कि:-अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2020 यथावत् रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक रूपये अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 30 माह 07.सन् 2021 को जारी किया गया।



राजस्थान राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोजेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	—		1.स्टाम्प वकालतनामा	—	
2.स्टाम्प वकालतनामा	—		2.स्टाम्प अर्जी	—	
3.इजराय हुकमनामा	—		3.इजराय हुकमनामा	—	
4.वकील फीस बाबत	—		4.महनताना वकील	—	
मीजान	—		मीजान	—	

नोट:-इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।